

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एलआर/2823/2006/डूंगरपुर सरकार बनाम देवा</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p style="text-align: center;"><b>एकलपीठ</b> <b>श्री मोडूदान देथा, सदस्य</b></p> <p><b>उपस्थित:-</b> श्री खुर्शीद अनवर, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।</p> <p style="text-align: center;">--</p> <p style="text-align: center;"><b>आदेश</b> <b>दिनांक: 14.8.18</b></p> <p>यह रेफरेंस अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 22-02-2006 द्वारा मण्डल को प्रेषित किया है।</p> <p>संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार, सीमलवाड़ा ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गोरदा तहसील सीमलवाड़ा के हाल आराजी खसरा नं0 1381 रकबा 6 बिस्वा किस्म दी.पी.ए गत भू प्रबंध संवत् 2008 में खसरा नं0 845 रकबा 58 बीघा 3 बिस्वा किस्म नदी बिलानाम अंकित थी, जिसका फर्द तुलनात्मक संलग्न करते हुए उन्होंने उक्त गत आराजी खसरा नं0 845 रकबा 58 बीघा 3 बिस्वा किस्म नदी में से रकबा 6 बिस्वा हाल आराजी खसरा नं0 1381 रकबा 6 बिस्वा भूमि भू प्रबंध के दौरान संवत् 2014 में अप्रार्थीगण के पिता श्री अमरा पिता धुला</p>	

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एलआर/2823/2006/इंगूरपुर सरकार बनाम देवा</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p>मीणा निवासी गोदारा के खातेदारी में दर्ज हो गई है जबकि उक्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं होते हैं। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जावे। प्रा0 पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश किया। बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22-02-2006 द्वारा यह रेफरेंस अनुशंषा के साथ मण्डल को प्रेषित किया है। मण्डल द्वारा रेफरेंस को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया किन्तु अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा।</p> <p>मैंने योग्य उप राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।</p> <p>योग्य उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि की किस्म गैर नदी है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अनुसार समस्त नदिया, नाले, झीले और तालाब आदि राज्य सरकार के स्वामित्व की है, जिसका आवंटन/नियमन किया जाना नियम विरुद्ध है। उक्त कार्यवाही डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में</p>	

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एलआर/2823/2006/इंगरपुर सरकार बनाम देवा</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p>माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-08-2004 के परिप्रेक्ष्य में भी अविधिक है, जिसमें ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। अतः रेफरेंस को स्वीकार किया जावे।</p> <p>मैने योग्य उप राजकीय अधिवक्ता के तर्कों पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।</p> <p>प्रश्नगत रेफरेंस में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम गोरादा तहसील सीमलवाड़ा के हाल आराजी खसरा नं0 1381 रकबा 6 बिस्वा किस्म दी. पी.ए गत भू प्रबंध संवत् 2008 में खसरा नं0 845 रकबा 58 बीघा 3 बिस्वा किस्म नदी बिलानाम अंकित थी, जिसका फर्द तुलनात्मक संलग्न करते हुए उन्होंने उक्त गत आराजी खसरा नं0 845 रकबा 58 बीघा 3 बिस्वा किस्म नदी में से रकबा 6 बिस्वा हाल आराजी खसरा नं0 1381 रकबा 6 बिस्वा भूमि भू प्रबंध के दौरान संवत् 2014 में अप्रार्थीगण के पिता श्री अमरा पिता धुला मीणा निवासी गोदारा के खातेदारी में दर्ज कर दी गई है।</p> <p>चूँकि उक्त भूमि की किस्म नदी होने के कारण</p>	

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एलआर/2823/2006/इंगूरपुर सरकार बनाम देवा</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p>यह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित श्रेणी में आती है तथा राजस्थान-भू राजस्व ;कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटनद्ध नियम, 1970 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं है एवं उक्त भूमि पर विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते है तथा उक्त भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की होने के कारण भू प्रबंध विभाग द्वारा किसी भी व्यक्ति के नाम इन्द्राज किया जाना प्रचलित नियमों के विरुद्ध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डीबी0 सिविल रिट पिटीशन नं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिनांक 02-08-2004 को यह निर्णय पारित किया गया कि उक्त किस्म की भूमि को वापिस दिनांक 15-08-1947 की स्थिति में बहाल किया जावें। उपरोक्त विधिक एवं अभिलेख की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विवादित भूमि को भू प्रबंध विभाग द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित किया जाना उचित नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में हम राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत रेफरेंस को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।</p> <p>फलस्वरूप यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि आराजी खसरा नं0 1381 रकबा 6 बिस्वा स्थित ग्राम गोरदा को सिवाय चक दर्ज कर उसकी किस्म गैर मुमकिन नदी के रूप में राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते है</p>	

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एलआर/2823/2006/इंगूरपुर सरकार बनाम देवा</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p>तथा अप्रार्थीगण के पक्ष में विवादित भूमि बाबत् राजस्व अभिलेख में किए गए खातेदारी के अंकन को विलोपित किये जाने के आदेश दिए जाते है।</p> <p>आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णीत इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"><b>(मोडूदान देथा)</b> <b>सदस्य</b></p>	